प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत मध्यप्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन सम्पादित किया गया।

इस प्रतिवेदन में ऐसे प्रकरण उल्लेखित हैं जो कि वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय संज्ञान में आए साथ ही वे प्रकरण भी जो कि पूर्व के वर्षों में संज्ञान में तो आए किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। वर्ष 2016–17 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 4,712.16 करोड़ है जो कि वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य द्वारा अर्जित कर एवं कर भिन्न राजस्व का कुल 8.84 प्रतिशत है। शासन/विभागों ने ₹ 2,506.49 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 3.74 करोड़ की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप किया गया हैं।

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं :

1. लेखापरीक्षा में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य व्यापक भिन्नता पाई गई। वित्त विभाग ने यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अनावश्यक रूप से निर्धारित उच्च बजट अनुमान संबंधित प्रशासनिक विभाग के दृष्टिकोण की आवश्यक जाँच या वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद तैयार किये गये।

2. राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों के पास लंबित बकाया राजस्व का कोई विश्वसनीय डाटाबेस या बकाया संग्रहण की निगरानी करने हेतु तंत्र नहीं है। परिणामस्वरुप ₹ 5,291.62 करोड़ का बकाया राजस्व असंग्रहित रहा जिसमें से ₹ 1,923.92 करोड़ का बकाया पाँच वर्ष से अधिक समय से वसूल नहीं किया गया है।

3. राजस्व संग्रहण विभाग निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल सम्भावित राजस्व ₹ 21,576.37 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण करने में असफल रहे।

4. विगत पाँच वर्षों में राजस्व संग्रहण विभाग लेखापरीक्षा को 8,042 प्रकरणों से संबंधित नस्तियों/अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जो कि विभागों में भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी की संभावना के लिए चेतावनी का संकेत है। लेखापरीक्षा इन लेनदेनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

5. वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, स्टांप तथा पंजीकरण फीस, खनन प्राप्तियाँ और जलकर से संबंधित 392 इकाईयों की नमूना जाँच की और 2,73,032 प्रकरणों में ₹ 6,270.37 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का अवलोकन किया। वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित 14,974 प्रकरणों में

₹ 3,081.23 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को संबंधित विभागों ने स्वीकार किया तथा 151 प्रकरणों में ₹ 5.15 करोड़ की वसूली की।

पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के निर्देशों का अनुपालन न करना

6. राज्य आबकारी विभाग विदेशी मदिरा के लाइसेंस/लेबल की तिथि समाप्त होने (एक्सपायरी), नवीनीकरण न होने या रद्द होने की स्थिति में उसके निस्तारण की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति (72वाँ प्रतिवेदन, 2015–16) द्वारा प्रभावी प्रणाली विकसित करने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहा।

7. वाणिज्यिक कर विभाग लोक लेखा समिति (65वाँ प्रतिवेदन, 2014–15) द्वारा दिये गये निर्देशों, जिनके अनुपालन में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना और पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपाय सुनिश्चित करना था, का पालन करने में असफल रहा।

8. खनिज साधन विभाग बकाया की वसूली और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए समय–सीमा निर्धारित करने के लोक लेखा समिति के निर्देशों (27वाँ प्रतिवेदन, 2014–15) का पालन करने में असफल रहा।

9. पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग वर्ष 2004–05 और 2006–07 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (65वाँ प्रतिवेदन, 2014–15 और 72वाँ प्रतिवेदन, 2015–16) द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने में असफल रहा।

10. राजस्व विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीमियम पर पंचायत उपकर का आरोपण करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के लोक लेखा समिति (387वाँ प्रतिवेदन, 2016–17) के निर्देशों का पालन करने में असफल रहा।

11. राज्य परिवहन विभाग कर एवं शास्ति की लंबित राशि को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वसूली करने व समय–सीमा में वसूली करने में असफल विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लोक लेखा समिति के निर्देश (29वाँ प्रतिवेदन, 2014–15) का पालन करने में असफल रहा।

राज्य उत्पाद शुल्क

12. ज्वार और बाजरा से मदिरा उत्पादन करने हेतु न्यून मानदण्डों के निर्धारण, चावल, मक्का और जौ से मदिरा उत्पादन के लिए कोई मानदण्ड न होने, शीरा से मदिरा उत्पादन के लिए निम्न दक्षता मानदण्ड होने तथा अनाज से बीयर उत्पादन के लिए कोई मानदण्ड न होने से शासन को ₹ 1,192.12 करोड़ के उत्पाद शुल्क का नुकसान हुआ।

13. देशी मदिरा के उत्पादन की वास्तविक कीमत का विश्लेषण किए बिना देशी मदिरा की निविदा प्रक्रिया में केवल राज्य के मदिरा निर्माताओं को भाग लेने की अनुमति देने के फलस्वरुप कम प्रतिस्पर्धा व आसवकों के मध्य गुटबंदी हुई और आसवकों को ₹ 653.08 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

14. देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आबकारी नीति में अवांछित परिवर्तन से शासन पर वर्ष 2016–17 में ₹ 48.21 करोड़ की देयता बनी।

15. मद्य निर्माणशाला के अन्दर स्थित बोतल इकाईयों और मद्य निर्माणशाला परिसर के बाहर स्थित बोतल इकाईयों के बीच अति निष्क्रिय एल्कोहल/संशोधित स्पिरिट के परिवहन हेतु शासन द्वारा असममित परिवहन शुल्क के निर्धारण के फलस्वरुप

निर्माताओं के एक वर्ग को अनुचित लाभ हुआ तथा वर्ष 2012–17 के दौरान में ₹ 100.84 करोड़ के उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

16. आबकारी विभाग ने विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए निगरानी व परामर्श टीम पर ₹ 2.16 करोड़ का व्यय किया जो कि ₹ 2.05 करोड़ के सॉफ्टवेयर विकास की लागत से अधिक था। इसके बावजूद 10 वर्ष बीतने के बाद भी कार्य अपूर्ण है।

वाणिज्यिक कर

17. निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक अभिलेखों जैसे लेखापरीक्षित खातों, क्रय की गई सामग्री के विवरण, स्रोत पर कर की कटौती प्रमाण पत्र (टी.डी.एस.) इत्यादि की जाँच करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप 125 प्रकरणों में ₹ 872.97 करोड़ के टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरुप शास्ति सहित ₹ 226.13 करोड़ के मूल्यवर्धित कर (वैट) का कम आरोपण हुआ।

18. मुख्य ठेकेदारों के कर निर्धारण अधिकारी, मुख्य ठेकेदारों को कटौती की अनुमति देते समय, उप ठेकेदारों के कर निर्धारण अधिकारियों से यह प्रति–सत्यापित करने में विफल रहे कि उप ठेकेदारों ने इन कटौतियों पर कर चुकाया है जिसके परिणामस्वरुप उप–ठेकेदारों/मुख्य ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर में ₹ 171.82 करोड़ की अनुबंध प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं हुईं तथा शास्ति सहित ₹ 20.60 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

खनन प्राप्तियाँ

19. मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) ने ₹ 136.69 करोड़ की रॉयल्टी सरकार को जमा नहीं की क्योंकि म.प्र.रा.ख.नि.लि. के मध्यप्रदेश सरकार के साथ किए गए पट्टा अनुबंध में म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा ठेकेदार से प्राप्त सम्पूर्ण रॉयल्टी की धनराशि शासन के खाते में जमा करने का प्रावधान नहीं था।

20. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (सिया) द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन की निगरानी हेतु खनिज साधन विभाग द्वारा कोई तन्त्र नियत नहीं किया गया था।

21. विभाग ने गौण खनिजों के संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन को भुगतान की जाने वाली योगदान की राशि निर्धारित नहीं की थी। परिणामस्वरुप खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों के कल्याण हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं थी।

22. विभाग ने 276 पट्टाधारियों तथा 24 ठेकेदारों से ₹ 67.03 करोड़ की रॉयल्टी/अनिवार्य शुल्क/ठेके की राशि की वसूली नहीं की।

जल कर

23. जल संसाधन विभाग ने उद्योगों, घरेलू जल आपूर्ति इकाईयों और किसानों से ₹ 1,627.54 करोड़ का बकाया जल कर वसूल नहीं किया। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर ने ₹ 771.06 करोड़ के बकाया जलकर की वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाए यद्यपि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका खारिज (मार्च 2009) कर दी थी।